न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 36/2025

कुलदीप पुत्र रामनिवास जाति मीणा, निवासी ढाणी हनुमान मीणा की तन डाडा फतेहपुरा, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

अपील अ. धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियाम 1956 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 12.01.2024 न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुन प्रकरण संख्या 28/2023 उनवानी सरकार बनाम कुलदीप किस्म मुकदमा अ0 धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश कुमार मीणा, एडवोकेट.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 28.7.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 2681/2385 रकबा 7.37 हैक्टर ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि है। जिसके संबंध में पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि राजस्व ग्राम डाडा फतेहपुरा में स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2681/2385 रकबा 7.37 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ के रकबा 350 वर्ग मीटर भाग पर पुख्ता मकान व दिवार लगाकर गैरसायल कुलदीप पुत्र रामनिवास जाति मीणा निवासी डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी ने पुख्ता मकान व दिवार बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को भू—राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट के दादा हनुमान राम मीणा लगभग 40—50 वर्षो से उक्त भूखण्ड पर काबिज थे तथा अपीलान्ट

अतिरिक्त कलेक्टर
झुंझुनूं

द्वारा इस भूखण्ड पर पुख्ता मकान व दीवार बनाकर परिवार सहित निवास कर पशुपालन तथा खेती–बाड़ी का कार्य कर अपने परिवार का पालन–पोषण करता आ रहा है तथा खसरा नम्बर 2681/2385 के नजदीक आबादी विस्तार हो चुका है तथा उक्त खसरा नम्बर में स्थित भूमि आबादी भूमि क्षेत्र से बिल्कुल सटाकर है। खसरा नम्बर 2681/2385 एवं खसरा नम्बर 2385/870 में से 0.50 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से आबाद काबिज काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि में अपीलान्ट के दादा हनुमान प्रसाद ने अपने जीवन काल में 30–40 वर्षो तक लगातार बाजरे की फसल काश्त कर कब्जे काश्तकार रहे है। न्यायालय हाजा के कार्यालय से दिनांक 16.09.1992 को जारी नोटिस के आधार पर अपीलान्ट के दादा हनुमान प्रसाद द्वारा खसरा नम्बर 2385/870 हाल खसरा नम्बर 2681/2385 रकबा 7.37 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि में से 0.50 हैक्टर भूमि पर कब्जा प्रमाणित होता है। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में विवादित भूमि पर अपनी मेहनत व खून–पसीनें की गाढी कमाई लगाकर समतल व विकसित कर रहने हेतु आवास निर्मित करवाया गया है। प्रार्थी के पास अन्य कोई आवासीय भूमि उपलब्ध नही है। अपीलांट द्वारा परिपत्र संख्या प. 6(42) राज/ख/58 दिनांक 20.04.1961 के तहत उपरोक्त भूमि का नियमानुसार आबादी विस्तार हेतु एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा आबादी विस्तार एवं आंवटन हेतु सिफारिश की गई। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 12.01.2024 को बेदखल करने के आदेश पारित किया है। उसमें विवादित भूमि को गैर मुमकिन पहाड़ माना है। जबकि मौके पर पहाड़ नही है, न ही पहाड़ जैसी कोई स्थिति है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत अपने जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि पटवारी हल्का द्वारा मौके की सही जांच पड़ताल व मौके की वास्तविक जांच रिपोर्ट तथा भौतिक सत्यापन किये बिना मनमाने ढग से अपीलान्ट को क्षति पहुंचाने की बदनियति से रिपोर्ट तैयार कर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट में अपीलांट का अतिक्रमण कब से व कितना पुराना है आदि का कोई अंकन नही किया गया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 2681/2385 के चारों ओर आबादी हो चुकी है। अनके परिवार उसमें आबाद होकर रिहायस कर रहे है। यदि अदालत मातहत के अपीलांट को बेदखली के आदेश की पालना में अपीलांट को उसके आवास से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट बेघर हो जायेगा जिससे अपीलांट को भंयकर क्षति होगी। अपीलांट अनुसूचित जन जाति परिवार से है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 12.01.2024 को पारित बेदखली आदेश को खारिज फरमाया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 2681/2385 रकबा 7.37 हैक्टर ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि है। जिसके संबंध में पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि राजस्व ग्राम डाडा फतेहपुरा में स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2681/2385 रकबा 7.37 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ के रकबा 350 वर्ग मीटर भाग पर पुख्ता मकान व दिवार लगाकर गैरसायल कुलदीप पुत्र रामनिवास जाति मीणा निवासी डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी ने पुख्ता मकान व दिवार बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट के दादा हनुमान राम मीणा लगभग 40–50 वर्षो से उक्त भूखण्ड पर काबिज थे तथा अपीलान्ट द्वारा इस भूखण्ड पर पुख्ता मकान व दीवार बनाकर परिवार सहित निवास कर पशुपालन तथा खेती–बाड़ी का कार्य कर अपने परिवार का पालन–पोषण करता आ रहा है तथा खसरा नम्बर 2681/2385 के नजदीक आबादी विस्तार हो चुका है तथा उक्त खसरा नम्बर में स्थित भूमि आबादी भूमि क्षेत्र से बिल्कुल सटाकर है। खसरा नम्बर 2681/2385 एवं खसरा नम्बर 2385/870 में से 0.50 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से आबाद काबिज काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि में अपीलान्ट के दादा हनुमान प्रसाद ने अपने जीवन काल में 30–40 वर्षो तक लगातार बाजरे की फसल काश्त कर कब्जे काश्तकार रहे है। न्यायालय हाजा के कार्यालय से दिनांक 16.09.1992 को जारी नोटिस के आधार पर अपीलान्ट के दादा हनुमान प्रसाद द्वारा खसरा नम्बर 2385/870 हाल खसरा नम्बर 2681/2385 रकबा 7.37 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि में से 0.50 हैक्टर भूमि पर कब्जा प्रमाणित होता है। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में विवादित भूमि पर अपनी मेहनत व खून–पसीनें की गाढी कमाई लगाकर समतल व विकसित कर रहने हेतु आवास निर्मित करवाया गया है। प्रार्थी के पास अन्य कोई आवासीय भूमि उपलब्ध नही है। अपीलांट द्वारा परिपत्र संख्या प. 6(42) राज/ख/58 दिनांक 20.04.1961 के तहत उपरोक्त भूमि का नियमानुसार आबादी विस्तार हेतु एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा आबादी विस्तार एवं आंवटन हेतु सिफारिश की गई। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 12.01.2024 को बेदखल करने के आदेश पारित किया है। उसमें विवादित भूमि को गैर मुमकिन पहाड़ माना है। जबकि मौके पर पहाड़ नही है, न ही पहाड़ जैसी कोई स्थिति है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत अपने जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि पटवारी हल्का द्वारा मौके की सही जांच पड़ताल व मौके की

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

वास्तविक जांच रिपोर्ट तथा भौतिक सत्यापन किये बिना मनमाने ढग से अपीलान्ट को क्षति पहुंचाने की बदनियति से रिपोर्ट तैयार कर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट में अपीलांट का अतिक्रमण कब से व कितना पुराना है आदि का कोई अंकन नही किया गया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 2681/2385 के चारों ओर आबादी हो चुकी है। अनके परिवार उसमें आबाद होकर रिहायस कर रहे है। यदि अदालत मातहत के अपीलांट को बेदखली के आदेश की पालना में अपीलांट को उसके आवास से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट बेघर हो जायेगा जिससे अपीलांट को भंयकर क्षति होगी। अपीलांट अनुसूचित जन जाति परिवार से है। । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 को अपास्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय है जिसकी किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है। तथा अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत तथा न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.2024 मुकदमा संख्या 28/2023 उनवानी सरकार बनाम कुलदीप अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार खेतड़ी को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.7.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।